न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या — 197/2024
दायर दिनांक — 06.12.2024

उनवान

1. जगदीश पिता नन्दराम ब्राहमण नि. देवरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा। ———(प्रार्थी)

बनाम

1. राधादेवी पत्नि श्रीकृष्ण गोपाल ब्राहमण नि. देवलियाकलां तहसील भिनाय।
2. देवीलाल दत्तक पुत्र मोती लाल ब्राहमण नि. देवरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. सोनिया पत्नि शिवराज ब्राहमण नि. देवरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. महावीर पिता रामगोपाल ब्राहमण नि. देवरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाडा। ————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित—
प्रार्थी अधिवक्ता—— श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक — 13.08.2025

आदेश

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम देवरिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 281 के आ.न. 695, 695/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4900 हैक्टयर तथा ग्राम रामपुरा की आ.न. 1862 कुल किता 01 कुल रकबा 01.2600 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम देवरिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 281 के आ.न. 695, 695/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4900 हैक्टयर तथा ग्राम रामपुरा की आ.न. 1862 कुल किता 01 कुल रकबा 01.2600 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व का घोतक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोष प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेगें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकंला, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा